प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/203637/GKP/GORAKHPUR/4512/CFO
दिनांक : 15-06-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **DR RAM MANOHAR LOHIYA INTER COLLEGE** पता **ARAZI NO. 208, 209 AND 211,KAZAKPUR,GORAKHPUR** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **6118.59 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2011.03** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
DR RAM MANOHAR LOHIYA INTER COLLEGE	1	0	3.15 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **DR RAM MANOHAR LOHIYA INTER COLLEGE** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **20-06-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PARAS NATH YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-06-2026** से **21-06-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **DR RAM MANOHAR LOHIYA INTER COLLEGE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **DR RAM MANOHAR LOHIYA INTER COLLEGE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।"

Note : FSO की संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धो के अधीन निर्गत है। 1-अतिरिक्त निर्माण/अधिभोग अथवा अधिभोग परिवर्तित करने पर पृथक से विभागीय स्वीकृति ली जाये। 2-भवन में बी0आई0एस0 2190 के अनुसार समस्त अग्निशमन व्यवस्था अधिष्ठापित व कार्यशील रखना अनिवार्य होगा। 3-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/ मरम्मत अई एजेन्सी से कराया जाय। 4-सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर आप स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होगें। 5-शा0 187/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-06-2026
स्थान : GORAKHPUR

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
SANTOSH KUMAR RAI
83D1545A2C132ED07DA6325B12C5E5094D437D60
22-06-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.